



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 197-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 2, 2016 (AGRAHAYANA 11, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 दिसम्बर, 2016

संख्या 7/31/2014-3ए०आर०- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए०आर०, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए०आर०, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, अनुसूची में,-

(1) क्रम संख्या 20 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"20 क	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	जलसा/ जनसभा/ जलूस/ शोभा यात्रा/ छठ पूजा/ विवाह हेतु उपबंध (केवल एस०पी०, एस० डी० एम०, एम०सी० फायर से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/ उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	
20 ख	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	फनफेयर/सर्कस/मैजिक शो हेतु अनुमति (केवल एस० पी०, एस० डी० एम०, एम० सी० फायर तथा आबकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/ उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	

20 ग	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	टूर्नामेंट/खेल के लिए अनुमति (केवल एस० पी०, एस० डी० एम०, खेल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/ उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	
20 घ	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	जलसा/सार्वजनिक बैठक/जलूस/ शोभा यात्रा/ छठपूजा/विवाह के लिये लाउडस्पीकरों /डीजे के लिए अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू ।	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
20 ङ	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	फनफेयर/सर्कस/मैजिक शो हेतु लाउडस्पीकरों / डीजे की अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
20 च	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	टूर्नामेंट/खेल हेतु लाउडस्पीकरों/ डीजे की अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
20 छ	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	लाउडस्पीकरों/डीजे के लिए अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
20 ज	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	संसदीय चुनाव अभियान के दौरान वाहन हेतु परमिट/ अनुमति (केवल एस०पी०, एस०डी०एम० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार	जिलाधीश/ उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा
20 झ	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	विधानसभा/ राज्य चुनाव अभियान के दौरान वाहन के लिए परमिट/अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा
20 ञ	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	विधानसभा/ राज्य चुनाव अभियान के दौरान वाहन पर लाउडस्पीकर के लिए अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा
20 ट	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	संसदीय चुनाव अभियान के दौरान वाहन पर लाउडस्पीकर के लिए अनुमति (केवल एस०पी०, एस०डी०एम० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

(2) क्रम संख्या 63 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7
63 क	“विद्युत विभाग	33 के०वी० से ऊपर के मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा विद्युत संस्थापन का प्रमाणीकरण	30 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियंता	मुख्य विद्युत निरीक्षक	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, विद्युत”।

(3) क्रम संख्या 128 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
“128 क	खाद्य तथा पूर्ति विभाग	(i) दूरियों संबंधी पैरामीटर की पैमाइश के लिए टीम का गठन राजस्व विभाग के सम्बंधित हल्का पटवारी/ कानूनगो तथा नायब तहसीलदार/ तहसीलदार तथा खाद्य तथा पूर्ति विभाग (सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो) हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 के खण्ड 4(iii) के दृष्टिगत प्रस्तावित ईन्ट भट्टा स्थल की पैमाइश हेतु संयुक्त टीम गठित करना	4 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक / निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग।
		(ii) दूरियों संबंधी पैरामीटर की पैमाइश की रिपोर्ट टीम दूरियों संबंधी पैरामीटर की पैमाइश आवेदक या आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पैमाइश करेगी तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।	15 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक / निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग।
		(iii) ईन्ट भट्टे के निर्माण की अनुमति हरियाणा प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देश के अनुसार हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश 1972 के प्रारूप क के खण्ड 3 के अधीन ईन्ट भट्टे (चिमनी तथा गेड) के निर्माण के लिए स्वीकृति/ समशोधन, यदि दूरी पैरामीटर की शर्तें हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 के खण्ड 4(iii) के प्रावधानों के अनुसार पाई जायेगी। आवेदक को सूचित किया जायेगा यदि दूरी पैरामीटर नियंत्रण आदेश के अनुसार नहीं पाई जायेगी।	7 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक / निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग।
		(iv) ईट बनाने व बेचने के लिये ईट भट्टे का लाईसेंस जारी करना आवेदक/ईन्ट भट्टा स्वामी केवल खान तथा भू-विज्ञान विभाग से परमिट, हरियाणा प्रदुषण बोर्ड से सहमति तथा जिला नगर योजनाकार से नियंत्रित क्षेत्र का लाईसेंस, यदि ईन्ट भट्टा का स्थल नियंत्रित क्षेत्र में आता है, प्राप्त करने के बाद अपना ईन्ट भट्टा संचालित करेगा। अन्यथा जिला नगर योजनाकार/नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र।	7 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक / निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग”।

(4) क्रम संख्या 143 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"143 क	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	पानी का कनेक्शन	5 दिन रिहायसी 7 दिन वाणिज्य/ औद्योगिक	1.कनिष्ठ अभियंता, 2. उप मंडल अभियंता और 3. कार्यकारी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	प्रशासक"।

(5) क्रम संख्या 189 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"189 क	श्रम विभाग	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियम) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अधीन नियोजित प्रतिष्ठान का पंजीकरण	30 दिन	सहायक निदेशक (आई०एस० एंड एच०)/ सहायक निदेशक आई०एच०/उपनिदेशक, आई०एच० एंड सयुक्त निदेशक आई०एस० एंड एच०	श्रम आयुक्त	प्रधान सचिव"।

(6) क्रम संख्या 199 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"200	"खनन तथा भू- विज्ञान विभाग	पत्थर क्रेशर मालिकों को हरियाणा क्रेशर विनियमन तथा नियंत्रण अधिनियम 1991(1992 का 15) के अधीन स्टोन क्रेशर स्वामियों को स्टोन क्रेशर के लिए लाईसैंस	21 दिन	निदेशक, खनन तथा भू-विज्ञान	प्रशासकीय सचिव	मुख्य सचिव"।
"201	"खनन तथा भू- विज्ञान विभाग	ईंट भट्टा/ ईन्ट स्वामी को ईन्ट निर्माण हेतु मिट्टी की निकासी के लिए परमिट	15 दिन	जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी	राज्य खनन अभियंता	निदेशक, "खनन तथा भू-विज्ञान"।
"202	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	(क) राज्य राजमार्ग/एम०ओ० आर० टी० एवं एच० के दिशानिर्देशों के अधीन अनुसूचित सड़क से प्रवेश/ निकासी के लिए समाशोधन	60 दिन	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
		(ख) उपयोग का अधिकार के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस/ पाइपलाईन बिछाने की अनुमति	60 दिन	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
		(ग) उपयोग का अधिकार के अन्तर्गत संचार अवसरचना और सहयुक्त स्थापना जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए अनुमति।	60 दिन	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता"।

डी०एस० डेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 2nd December, 2016

No. 7/31/2014-3AR; – In exercise of powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated 15.02.2016, in Schedule,-

(1) after serial number 20, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
“20 A	Revenue & Disaster Management Department	Provision for Jalsa/Public Meeting/Jaloos/ Shobha Yatra/Chhath Puja/ Marriage (Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., SDM, MC Fire)	5 days	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	
20 B	Revenue & Disaster Management Department	Permission for Funfair/Circus/ Magic Show(Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., SDM, MC Fire, Excise Deptt.)	5 days	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	
20 C	Revenue & Disaster Management Department	Permission for Tournaments/ Games (Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., SDM, Sports Officer)	5 days	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	
20 D	Revenue & Disaster Management Department	Loudspeakers/DJ Permission for Jalsa/Public Meeting / Jaloos/ Shobha Yatra/ Chhath Puja/Marriage (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	3 days	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Divisional Commissioner

20 E	Revenue & Disaster Management Department	Loudspeakers/DJ Permission for Funfair/ Circus/ Magic Show (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	3 days	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Divisional Commissioner
20 F	Revenue & Disaster Management Department	Loudspeakers/DJ Permission for Tournaments/ Games (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	3 days	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Divisional Commissioner
20 G	Revenue & Disaster Management Department	Permission for Loudspeaker/DJ (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	3 days	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Divisional Commissioner
20 H	Revenue & Disaster Management Department	Permit/Permission for Vehicle during Parliamentary Election Campaign. (Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., S.D.M.)	As per direction of Election Commission	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	Chief Electoral Officer, Haryana
20 I	Revenue & Disaster Management Department	Permit/Permission for Vehicle during Assembly/State Election Campaign. (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	As per direction of Election Commission	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Chief Electoral Officer, Haryana
20 J	Revenue & Disaster Management Department	Permission of Loudspeaker on Vehicle during Assembly/ State Election Campaign. (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	As per direction of Election Commission	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Chief Electoral Officer, Haryana

20 K	Revenue & Disaster Management Department	Permission of Loudspeaker on Vehicle during Parliamentary Election Campaign. (Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., S.D.M..)	As per direction of Election Commission	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	Chief Electoral Officer, Haryana”
------	--	---	---	---	-------------------------	-----------------------------------

(2) after serial number 63, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
“63 A	Power Department	Certification of Electrical Installation by Chief Electrical Inspector above 33KV	30 days	Concerned Executive Engineer	Chief Electrical Inspector	Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary, Power”

(3) after serial number 128, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
“128 A	Food & Supplies Department	(i) Constitute a team for measurement of distance parameters To constitute a joint team of concerned Halqa Patwari/ Kanoongo and Nayab Tehsildar/ Tehsildar of the Revenue Deptt. and Food & Supplies Deptt. (Nor below than AFSO rank) for measurement of the purposed brick kiln site in view of the clause 4 (iii) of the Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972.	4 days	Concerned District Food & Supplies Controller	District Magistrate	Director General/ Director Food & Supplies Department
		(ii) Measurement Report of distance parameters Team will measurement the distance parameters in the presence of the applicant or the authorized representative of the applicant and submit his report.	15 days	Concerned District Food & Supplies Controller	District Magistrate	Director General/ Director Food & Supplies Department
		(iii) Approval for construction of Brick Kiln Approval/ Clearance for construction of Brick Kiln (Chimney & Vessel) under clause 3A of Form ‘A’ of the Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972 according to the guidelines of the Haryana Pollution Control Board. If the conditions of the distance parameters will be found as per provisions of the Control	7 days	Concerned District Food & Supplies Controller	District Magistrate	Director General/ Director Food & Supplies Department

		Order (clause 4(iii). The applicant will be informed whether the distance parameters will not found as per the Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972.				
		<p>(iv) Issuance of Brick Kiln Licence for manufacturing and selling Bricks</p> <p>To issue Brick Kiln licence for manufacturing and selling Bricks. Applicant/ Brick Kiln owner will operate his Brick Kiln only after getting Permit of Mines & Geology Deptt. Consent of Haryana Pollution Control Board and Licence of Controlled Area from District Town Planer if the Site of the Brick Kiln falls in controlled area. Otherwise NOC of District Town Planner/ Municipal Corporation</p>	7 days	Concerned District Food & Supplies Controller	District Magistrate	Director General/ Director Food & Supplies Department".

(4) after serial number 143, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"143 A	HUDA	Water Connection	5 days Residential 7 days Commercial/ Industrial	1. Junior Engineer, 2. Sub Divisional Engineer & 3. Executive Engineer	Superintending Engineer	Administrator"

(5) after serial number 189, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"189 A	Labour Department	Registration of Establishment engaged in Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (28 of 1996)	30 days	Assistant Director (IS&H)/ Deputy Director (IS&H)/ Assistant Director, IH/ Deputy Director IH & Joint Director IS&H	Labour Commissioner	Principal Secretary"

(6) after serial number 199, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be added, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"200	Mines and Geology Department	Licence for Stone Crushers under the Haryana Regulation and Control of Crushers, Act, 1991 to stone crushers owners	21 days	Director, Mines and Geology	Administrative Secretary	Chief Secretary
201	Mines and Geology Department	Permit for the extraction of brick earth to brick kiln owner for manufacturing of bricks.	15 days	Officer Incharge at District Level	State Mining Engineer	Director, Mines and Geology

202	PWD (B&R)	(a) Clearance for entry/ exit from State Highway/ Scheduled Road under MORT&H Guidelines	60 days	Concerned SE	Chief Engineer (Concerned)	Engineer- in-Chief
		(b) Permission for laying of Natural Gas/ Pipelines ROU	60 days	Concerned SE	Chief Engineer (Concerned)	Engineer- in-Chief
		(c) Permission for Right of use (RoU) for laying the Communication Infrastructure & associated installation like Optical Fiber Cable	60 days	Concerned SE	Chief Engineer (Concerned)	Engineer- in-Chief ”.

D.S. DHESI,
Chief Secretary to Government of Haryana.